उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 04.07.2022

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सलैमपुर तहसील महवा की आराजी ख.नं. 1529 रकबा 2.24 हैक्टर में सायल व गैरसायल सं. 1 सहखातेदार है। खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। गैरसायल नं. 1 ने दिनांक 20.7.19 को धमकी दीं कि आराजी वादग्रस्त में सायल के हिस्सा पर में जबरदस्ती लट्ठ के बल पर क़ब्जा करूँगा तुझे काश्त नहीं करने दूँगा। तू आराजी पर आया तो तुझे जान से मार दूँगा। सायल आराजी के 4/9 भाग में 1/5 भाग का रिकार्डेट खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। गैरसायल भी 4/9 भाग में 1/5 का खातेदार है। सायल के हिस्से से गैरसायल नं. 1 का कोई संबंध नहीं है। यदि गैरसायल पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये किन्तु बाबजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्व एकक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने सायल के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। सायल का विवादित भूमि खसरा नम्बर 1529 रकबा 2.24 है0 के 4/9 भाग में 1/5 भाग हिस्सा है। गैरसायल नं. 1 लट्ठ के बल पर सायल की हिस्से की उक्त आराजी पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी में सफल हो गये तो सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा, है इसलिये गैरसायल नं. 1 को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान सं. 1 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम सलैमपुर तहसील महवा की आराजी ख.नं. 1529 रकबा 2.24 हैक्टर में सायल के हिस्सा तक उनके कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा